NO. G/5789

(अंगरेजी में टाइप किये हुए कार्यालय आदेश का हिन्दी अनुवाद.)

x x x

x x x

x x x

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या जी/3215, दिनांक २० मार्च, २००९ के अधिक्रमण में.

एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि किसी भी न्यायालय प्रकरण में कार्यालय आपत्तियोंको कार्यालय में और संबंधित विभाग में ही दूर किया जाए और वह भी संबंधित क्लर्क या अधिकारी के समक्षही किया जाए; और उक्त अधिकारी द्वारा फाईल अधिवक्तागण, क्लर्क या स्वयं उपस्थित पक्षकारोंको नही दी जाएगी।

...2/-

अधिवक्तागण एवं स्वयं उपस्थित रहनेवाले पक्षकारोंको एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि कार्यालय आपत्तियाँ (ऑफिस ऑब्जेक्शन) हटाने के लिए जो व्यक्ति आए, ऐसे व्यक्ति की पहचान का सत्यापन करने के लिए रजिस्टर यथा संबंधित विभागोंद्वारा रखे जा रहे है। इसलिए उनको आदेश दिया जाता है कि वे संबंधित अधिकारी के पास कार्यालय आपत्तियोंको दूर करने के लिए आनेवाले व्यक्ति की पहचान के सत्यापन के लिए आवश्यक जानकारी उक्त रजिस्टर में दर्ज करें।

अधिक यह भी सूचित किया जाता है कि कागजपत्र जैसे के अपील की अरजी, दावा अरजी, इत्यादि, रजिस्टरी में दाखिल हो जाने पर, यदि आपत्ति हटाने या दूर करने के लिए न्यायालय परिसर के बाहर ले जाए जाते है, तो ऐसी स्थिती में चूक करनेवाले पक्षकार के विरुद्ध कडी कारवाई

की जाएगी और ऐसे मामले संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आदेशों के लिए रखे जाएँगे।

अंततः अधिवक्तागण और स्वयं उपस्थित रहनेवाले पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि किसी अधिकारी / क्लर्क की मेज (टेबल) पर रखे हुए किसी कागज को उस अधिकारी / क्लर्क की अनुमति के बिना छूने / इधर उधर करने से बाज रहें।

निर्बाध प्रशासन के लिए उक्त निर्देशों का पालन कर्तव्यनिष्ठा से किया जाए ; अन्यथा चूक करनेवाले पक्षकार के विरुद्ध कड़ी कारवाई की जाएगी और उक्तानुसार ऐसे मामले संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित आदेशों के लिए रखे जाएंगे।

x x x

x x x

x x x

OFFICE OF THE
Chief Translator and Interpreter
High Court, Bombay

) EH 02
) FL 08
)

R'S OFFICE HIGH COURT

A TRUE TRANSLATION
(signature)
for Chief Translator & Interpreter
High Court, Bombay

26 APR 2013